ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 38-39
ISSN NO.-2347-2944
Vol-12, Issues-XII YEAR 2018 Extra

समाज और अपराध

राजीव कुमार श्रीवास्तव

असि0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदिृष्ट बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदिष्टपुरी–रानीगंज, बलिया (उ0प्र0),भारत

Received- 03 .05. 2018, Revised- 07 .05. 2018, Accepted - 11.05.2018 E-mail: rksharpur1974@gmail.com

सारांश : *आदमीयत की शुरुआत से ही इंसान सामाजिक प्राणी रहा । यह समाज व्यक्ति विशेष की खामियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता रहा । खेती की शुरुआत के बाद दस – बारह हजार साल पिछे इंसानों के सबसे आधुनिक समाज की शुरुआत हुई । यहीं से इसमें विकार भी दिखने शुरू हुए । प्रेम, बंधुत्व, भाई – चारा और अपराध सभ्य और असभ्य समाज की खूबियां – खामियां बनीं । इन्हीं पैमानों पर हमारे पौराणिक ग्रंथों में ' रामराज ' की कल्पना की गई । अपराध मुक्त समाज को सभ्य और अपराधयुक्त समाज को असभ्य करार दिया गया । हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट अपराध और समाज के इस ताने – बाने पर बड़े सवाल खड़े करती दिखती है । रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 के मुकाबले 2016 में भारत में होने वाले अपराध की दर में ढाई फीसद से अधिक का इजाफा हुआ । यह बात सही है कि केवल कड़े कानून और सख्त सजा के बूते अपराध पर नियंत्रण लगाना संभव नहीं है, इसके लिए जन चेतना और सामाजिक चेतना भी जरूरी है, लेकिन देश में दोनों ही कारकों को कभी प्राथमिकता में नहीं रखा गया । अंग्रेजों के जमाने के कानून और पुलिस प्रणाली से अपराध मुक्त समाज की संकल्पना हम कर रहे हैं, साथ ही अपराध के खात्मे के लिए समाज की जवाबदेही भी अभी तक तय नहीं हो सकी है । ऐसे में अपराध के पूर्ण खात्मे के लिए समाज और शासन की प्रभावी भागीदारी की पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है ।*

कुंजी शब्द – बंधुत्व,भाईचारा, सभ्य समाज, असभ्य समाज, संकल्पना, जबाबदेही, सामाजिक चेतना।, इजाफा।

देश में बढ़ रहे अपराध के कई कारण हैं। अपराध का होना कानून , समाज के बिखरते मानदंडों का मामला भी है । जब समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है और सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन भी गतिशील होता है, तब समाज के मानदंड, जो लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, उनमें भी संक्रमण होता है और उनकी पकड़ लोगों पर ढीली पड़ने लगती है । आज लोग आभासी दुनिया के माध्यम से एक – दुसरे से जुड़े हैं, उसी माध्यम से लोगों को जान रहे हैं, उसमें भौतिक आवश्यकता नहीं होती है । इसके परिणामस्वरूप जो सामाजिक दबाव मानकों को लागू करने के लिए होता है, वह दबाव धीरे – धीरे समाप्त होने लगता है । यह आभासी दुनिया भी अवसाद से उपजे अपराध में अपनी प्रमुख – भूमिका निभा रही है ।

एक बहुत बड़ा बदलाव एकल जीवन पद्धति का है। आज का युवा इसी जीवन में सब जी लेना चाहता है। भूमंडलीकरण के बाद जन्मा बालक, जो अब युवा हो चुका है और आजकल उसके उपयोग की बात की जा रही है, वह युवा सबकुछ जीना और पा लेना चाहता है। उनके जीवन का बदलता हुआ दर्शन सब कुछ भोग लेने का है। वह किसी चीज की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। उसे जो चाहिए अभी चाहिए और येन केन प्रकारेण चाहिए। सामाजिक मानक उसके लिए मायने नहीं रखता है। वह कानून व्यवस्था और अन्य मानकों से नहीं डरता है और वह उसे अपराध की तरफ ले जाता है। अपराध के मनोविज्ञान को समझें तो अधिकांश अपराध के कारण आवेशी हैं। युवा, धैर्यविहीन होता जा रहा है। एक अपराध योजनाबद्ध होता है। दूसरा जीने की जल्दी में किया गया अपराध हैं, जिसमें आप सबकुछ किसी तरह हासिल करना चाहते हैं । समय का असर अलग तरीके से हमारे ऊपर पड़ रहा है । इसे संभालने के लिए उसके सामाजिक – सांस्कृतिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई है । इसीलिए मानकों का उल्लंघन करने में लोगों को परहेज नहीं हो रहा है । सड़क पर रेड लाइट है लेकिन यदि पुलिस वाला नहीं है तो लोग उसे लांघ जाते हैं। कई बार उसकी मौजूदगी में भी लोग पार कर जाते हैं। कानून व्यवस्था का भी लोगों में कोई भय नहीं है, क्योंकि दंड का बहुत कम ऐसा उदाहरण है, जो अपराध होने पर दिया गया है। समाज भी दंड विधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन वर्तमान में लोगों को पता है कि वह युवा जो अपराध वह कर रहे हैं, उसके दंड की प्रक्रिया जटिल है, निर्णय में बहुत समय लगेगा। छोटे–छोटे मामलों में भी 20 साल तक सुनवाई होती हैं। तात्कालिकता लोगों पर हावी है।

अपराध रोकने के लिए पहली चीज सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की सुविधा–असुविधा का ख्याल करना है। लोग अपनी आत्मछवि से मुग्ध हैं। उसकी छवि और समाज

अनुरूपी लेखक

का माहौल इसमें सहायक है। हमारी एजेंसियों पर भी बहुत भार है। त्वरित कानून की प्रक्रिया और दंड के बेहतर प्रावधान भी लोगों को अपराध करने से रोकने में सहायक हो सकते हैं। व्यक्तिवादिता बढ़ने से हम सिर्फ एक व्यक्ति रह गए हैं और सामाजिक व्यवस्था एक व्यक्ति की जरूरत पूरा करने का माध्यम भर रह गई। उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। इस सोच से लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है। इससे लोगों में तनाव, मानसिक अवसाद और अकेलापन बढ़ेगा। ये तीनों व्यक्ति को उस दुनिया में ले जाते हैं, जिसमें समाज के स्थापित मानक अपना अर्थ खो देते हैं और व्यक्ति के समक्ष उसके लिए कोई मकसद नहीं रहता है।

भयावह स्थिति– राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी क्राइम्स इन इंडिया– 2016 रिपोर्ट के अनुसार, देश में अपराध के आंकड़ें भयावह हैं। साल दर साल अपराधों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट में दो श्रेणियों भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) व विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) के तहत आंकड़ें जारी किए गए हैं । देश में 2015–16 में अपराधों में 2.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई ।

दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल के साथ, भारत में पुलिस कर्मियों की कमी नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास सिर्फ 11 लाख पुलिस कर्मी हैं। दूसरे सबसे बड़े देश अमेरिका के पास सिर्फ दस लाख से कुछ अधिक पुलिसवाले हैं। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां तकरीबन 30 लाख पुलिस कर्मी हैं। यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की कमी समस्या नहीं है। असल समस्या है पुलिस को गैर – पुलिस ड्यूटी में लगाना। जब तक पुलिसवाला का यह अतिरिक्त भार कम नहीं किया जाएगा, तब तक उनका प्रदर्शन नहीं सुधरेगा । जो लोग पुलिस सुधारों की वकालत करते हैं, उन्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के सातों दिशा – निर्देशों को लागू कर भी दिया जाए, तो भी पुलिस कर्मियों का कार्यभार कम किए बिना और उनके दायित्वों को बांटे बिना स्थितियां नहीं बदलेंगी।

निष्कर्षः आज आवश्यकता इसकी भी है कि पुलिस नेतृत्व अधीनस्थ कर्मचारियों को समयबद्ध लक्ष्य दे और उसे पूरा करने में उनका मार्गदर्शन और सहयोग करें। उसे हर छोटे–बड़े उपायों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित पुलिस सुधारों को तत्काल लागू किया जाए। दस साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन पुलिस सुधार लागू होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अत्यन्त आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अभिनव उपाध्याय से दैनिक जागरण से वार्ता, पृष्ठ 13, दिनाँक –3 दिसम्बर 2017।
2. प्रो0 आनन्द प्रकाशय मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से दैनिक जागरण वार्ता।
3. रंजना कुमारी, निदेशकय सेंटर फॉर सोशल रिसर्च दिल्ली से दैनिक जागरण वार्ता।
4. बालचंद्रन, वापल्लाय कीपिंग इंडिया सेफः द डिलेमा ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी।
5. दैनिक जागरण, वाराणसीय पृष्ठ 13, दिनाँक –3 दिसम्बर 2

*****